

फार्म नं.- III
 फर्द अहकाम
 (नियम-26)

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

बनाम रमेश कुमार झा
बतनाम सिंह

अन्तर्गत धारा 157 CPC नम्बर 161 सन् 2023

जी.सी.एम.एस. आईडी :2023 / 240

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये
-------------	------------------------------------	--

26/9/23
 राजस्व(ग्रुप-1) की अधिसूचना क्रमांक/प. 9(18) राज-1/2022(1)-(14) दिनांक 05.08.2023 के द्वारा नये जिले अनूपगढ़ का सृजन किया गया है। जिला दिनांक 07.08.2023 से क्रियाशील हो गया है। श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व(ग्रुप-1) विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक/प. 9(18) राज-1/2022 दिनांक 08.08.2023 की पालना में उक्त अनवान की पत्रावली इस न्यायालय को न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ से हस्तांतरित होकर प्राप्त हुई है।
 प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। पक्षकारान को सूचित किया जाकर पत्रावली वास्ते सुनवाई दिनांक 25/10/2023 को पेश हो।

(कल्पना अग्रवाल)
 आई.ए.एस.
 जिला कलक्टर
 अनूपगढ़

25/10/23
 पत्रावली पेश हुई पत्रकारान अनुपस्थित
 पत्रावली पूर्व आदेशानुसार पत्रकारान
 को तालुका किया जाकर डिफाउट
25/10/2023 को पेश हो

25/10/2023
 पत्रावली पेश हुई जज बतनाम सिंह की
 आदेश से श्री बतनाम कल्याण अधिकारिता ने उपस्थित
 घेनर डा-फर प्रस्तुत कट प्रकरण में पत्रकारान के
 मध्य मस्तीनाता हो जाने के कारण प्रकरण जीए विहा
 मौजूदा स्तर पर हाथिल प्रस्ताव लामाने के लिए
 निर्देश किया अधिकारिता जज की प्रार्थना के आधार
 पर प्रार्थना पत्र 157 CPC विहा करने की अनुमति
 दी जाती है तथा प्रकरण विहा आधार पर इसी स्तर
 पर प्रारंभ किया जाता है पत्रावली के जिले में
 सुप्रसन्न घेनर हाउ तामील हाथिल प्रस्ताव हो

दी.
 जिला कलक्टर
 अनूपगढ़